राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के विभिन्न आयाम : एक अध्ययन

डॉ. मक्खन लाल नायक
सह आचार्य (राजनीति विज्ञान विभाग)
राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभर लेक, जयपुर (राजस्थान)
(Affiliated to Rajasthan University Jaipur, Rajasthan)
Mail Id : drmakkhanlal48@gmail.com

लेख सार : वर्तमान युग में स्थानीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित राजनीतिक निर्णयों में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण एवं जन सहभागिता के पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। लोकतंत्र की मूल मान्यता सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना है और इसका आशय होता है कि सर्वोच्च शक्ति का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करें। उसमें व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी को शासन कार्यों में अवश्य स्थान देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस भावना को मूर्त रूप देने में स्थानीय शासन व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष तौर पर तब जबकि इन संस्थाओं में प्रबंधन कार्य स्वयं नागरिकों की सहभागिता से होता है। इन संस्थाओं को जहां 'लोकतंत्र की आधारशिला' कहा जाता है, वहीं जनता को जागरूक कर लोकतंत्र के विश्वास का पाठ पढ़ाती हैं भारत जैसे देश में जहां दो तिहाई से भी अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, वहां स्थानीय शासन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का विस्तृत भू–भाग, कल्याणकारी सरकार के विस्तृत कार्य एवं दायित्व, स्थानीय समस्याओं का दिन प्रतिदिन व्यापक होना आदि चुनौतियों के समाधान के लिए स्थानीय शासन ही कारगर हथियार है।

डी. टाकविले के अनुसार – ''स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति स्थानीय संस्थाएं होती है। एक रास्ते स्वतंत्र शासन की स्थापना कर सकता है किंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतंत्रता की भावना नहीं हो सकती है।''

लेख शब्द : स्वशासन, अखंडता, विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता, सहभागिता, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, समितियां, छावनी बोर्ड संस्था, पंचायती राज, वार्ड सभा, ग्राम सभा, सचिवालय, अधिनियम, चुनौतियाँ, सशक्तिकरण, समस्याएँ, सफलता, प्रयास, समीक्षा।

प्रस्तावना :

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्ता को सैद्धांतिक स्तर पर भी महसूस किया जाना अपेक्षित है जबकि व्यवहार में ऐसे स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें स्थानीय स्वशासन के सभी सदस्यों में सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र फल–फूल सके। विश्व लोकमत इस दृष्टिकोण का कायल हो रहा है कि स्थानीय स्वशासन राष्ट्रीय विकास और लोगों की प्रभावकारी सहभागिता के लिए अत्यावश्यक है और समस्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए अपरिहार्य अंग है।

स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित वह शासन है जिन्हें स्थानीय स्तर पर क्षेत्र की जनता द्वारा चुना जाता है तथा इनको राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी कुछ मामलों में अपनी स्वायत्तता, अधिकार तथा जिम्मेदारी प्राप्त हो। जिसका उपयोग किसी सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रण के बिना अपने विवेक से कर सकें। स्थानीय शासन को ऐसा शासन भी कहा गया है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है, किन्तु वे स्थानीय स्वशासन सर्वोच्च नहीं होते, इन पर राज्य या केन्द्र सरकारों का नियंत्रण होता हे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत की स्थानीय संस्थाओं का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। ये संस्थायें राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करती हैं तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानूनों को मूर्तरूप प्रदान करती है। अतः यह सामान्यतः कहा जा सकता है कि राज्य सरकार और स्थानीय शासन अपने पारस्परिक सम्बन्धों में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए प्राप्त अधिकारों के सीमा के अन्दर रहते हुए बहुत कुछ स्वतंत्र है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता एवं विकेंद्रीकरण के लिए 8 अक्टूबर 1985 को यूरोपीय परिषद के 11 सदस्यों ने स्थानीय स्वशासन के यूरोपीय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में परंपरा के द्वारा स्थानीय सरकारों पर सरकार के कतिपय बुनियादी कार्यों का दायित्व निर्भर है।

हमारे देश का स्थानीय स्वशासन दो स्तरों – नगरीय एवं ग्रामीण में विभक्त है। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत संचालित इकाइयां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, छावनी बोर्ड संस्था है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय रचना– जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है। स्थानीय शासन को विभिन्न देशों में अलग–अलग नामों से संबोधित किया जाता है इंग्लैंड में इन्हें 'स्थानीय सरकारें' कहा जाता है। फ्रांस में 'स्थानीय

प्रशासन' (प्रीफेक्ट व्यवस्था) तथा अमेरिका में 'नगरपालिका शासन' कहते हैं। सोवियत रूस में इसे 'म्युनिसियल सोवियतन' कहा गया है। किंतु भारत में इसे 'स्थानीय स्वशासन' से पुकारा जाता है।

पंचायती राज व्यवस्था : ग्रामीण स्वशासन

ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। गाँवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को 'पंचायती राज' के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारम्भ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) से हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की यह भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरु होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन–सुविधाओं व सार्वजानिक स्थानों की सामूहिक देख–रेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में यह भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।

ग्रामीण स्वशासन त्रि–स्तरीय संरचना है। इसमें सबसे पहले स्तर पर गाँव की 'ग्राम पंचायत' का गठन होता है। दूसरे स्तर अर्थात् विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है तथा तीसरे स्तर अर्थात् जिले में जिला परिषद्' का गठन होता है।।

* **ग्राम पंचायत :**

1. वार्ड सभा : – वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बाँटा जाता है। ऐसा प्रत्येक भाग 'वार्ड' कहा जाता है। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला–पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस वार्ड का 'वार्ड पंच' कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को 'वार्ड सभा' कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजनाएँ बनाई जाती हैं तथा उनको लागू करवाने के लिये प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से यह प्रस्ताव क्रियान्वित किये जाते हैं।

2. ग्राम सभा : – किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को 'ग्राम सभा' कहते हैं अर्थात् गाँव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में दर्ज हो और जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम के विकास की सभी योजनाएँ ग्राम सभा की बैठक में ही बनाई जाती है, जिनकी क्रियान्विति ग्रामसभा की बैठक का दृश्य ग्राम पंचायत करती है। इस क्रियान्विति का मूल्यांकन भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अर्थात् वर्ष में चार बार होती है।

3. ग्राम पंचायत : – किसी भी बड़े गाँव में या आस–पास के कुछ छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत का मुखिया 'सरपंच' होता है तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। सभी वार्ड पंच अपने में से ही किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक माह में दो बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में गाँव के विकास की योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिये जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिये ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनमें से एक ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है।

पंचायत के कार्य : – ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं – 1. शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करवाना। 2. सड़क, नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना। 3. महात्मा गाँधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना। 4. स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। 5. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना। 6. गाँवों में लगने वाले मेले/उत्सवों, हाट–बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना। 7. नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिये भूमि का आवंटन करना। 8. वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना। इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है।

4. ग्राम सचिवालय : – ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी, जैसे– ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, ए.एन.एम., हैण्डपम्प मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गाँव के लोगों की समस्याएँ सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित हो कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।

* **पंचायत समिति :**

हमारे राजस्थान राज्य को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खण्डों में बाँटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। विकास खण्ड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया 'प्रधान' कहलाता है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उप–प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। इनके साथ–साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधान सभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय–समय पर इसकी बैठकें होती हैं, जिनमें उस विकास खण्ड के सभी विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

कार्य – अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिये उत्तम खाद–बीज उपलब्ध करवाना, प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकतानुसार क्रियान्वित करवाना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल हैं। खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.), पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं।

* **जिला परिषद् :**

ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद् बनाई गई है, जो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद् का गठन होता हैं। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है। जिला परिषद् के गठन के लिए पूरे जिले को वाड़ों में विभाजित किया गया है। जिला परिषद् के प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो जिला परिषद् का सदस्य होता हैं। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। इनके साथ–साथ उस जिले से निर्वाचित विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। जिला परिषद् का मुखिया ''जिला प्रमुख'' होता है। समय–समय पर इसकी बैठकें होती हैं। समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

कार्य – जिला परिषद् ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। यह पंचायत समितियों के कार्यों की सामान्य देखरेख करती है। यह सम्पूर्ण जिले की विकास योजनाएँ बनाती है तथा जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) व अन्य अधिकारी जिला परिषद् की उसके कार्यों में मदद करते हैं।

सिंह धर्मेंद्र (2017) ने अपनी पुस्तक "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास" में ग्रामीण विकास को संपूर्णता प्रदान करने के लिए पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायतों, विभिन्न पंचायती राज अधिनियम को प्रस्तुत किया है। पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं विकास में ग्रामीण लोगों की भूमिका के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग रही है। ग्रामीण भारत के आर्थिक सामाजिक परिवेश की उन्नति एवं प्रगति में पंचायतों की अहम भूमिका होती है जो कि स्वतंत्रता के बाद और अधिक प्रभावशाली हो गई है।

इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों का अपने मत से चुनाव करते हैं – वार्डपंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य। इन सबका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी व क्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा जाम रही है।

नगरीय स्वशासन संस्थाऐं

ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस प्रकार के कार्य नगर पालिका, नगर परिषद् या नगर निगम करती है। शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। 20,000 से अधिक एवं एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में 'नगर पालिका', एक लाख से अधिक किन्तु पाँच लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में 'नगर परिषद्' तथा पाँच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में 'नगर निगम' होता है।

नगर पालिका, नगर परिषद् या नगर निगम के गठन के लिए इनके क्षेत्र को वार्डों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो कि 'पार्षद्' कहलाता है। ये पार्षद् इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इनके साथ–साथ उस क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। निर्वाचित पार्षद् अपने में से ही किसी एक पार्षद् को अपना मुखिया और एक को उप–मुखिया चुनते हैं।

नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष, नगर परिषद् का मुखिया सभापति और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। समय–समय पर होने वाली बैठकों में ये पार्षद् अपने शहर की विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ये अपने क्षेत्राधिकार के विषयों पर नियम–उपनियम भी बनाते हैं।

नगरीय (शहरी) स्वशासन व्यवस्था के सम्बन्ध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया था कि इस सम्बन्ध में कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाया जा सकता है। 74 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्व–शासन के सम्बन्ध में प्रावधान–संसद 74 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन् 1993 द्वारा, स्थानीय नगरीय शासन को, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने किया गया है।

- नगर पालिका का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हैं।
- नगर परिषद् का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।
- नगर निगम का गठन बडे नगरों के लिए होगा।
- नगरीय (शहरी) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या, नगर में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जायेगी ।
- नगरीय सस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होगी, लेकिन इन संस्थाओं का 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है। और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यकता होगा।
- नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं मे एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजातियो पिछडे वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की जा सख्या होगी। उनमे भी एक जिताई स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।

* **नगरपालिका :**

नगरपालिका नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है। 'नगरपालिका' की व्यवस्था वहाँ की जाती है। जो संक्रमणशील क्षेत्र हों, अर्थात् ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर बढ रहे है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय के बीच की श्रेणी वाले क्षेत्र के लिए नगरपालिकाओं की व्यवस्था की गई है। संक्रमणकालीन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन में 'नगर पंचायत' के गठन का प्रावधान किया गया है। लेकिन राजस्थान में नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका बोर्ड का गठन किया है। वर्तमान में राजस्थान में इनकी कुल संख्या 146 है। नगरपालिका के सदस्यों का पार्षद कहा जाता है। नगरपालिका के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। पार्षद व अध्यक्ष का निर्वाचन, उस नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है।

नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। वार्डों की संख्या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाती है। नगरपालिका वार्ड का सदस्य वयस्क मताधिकार से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु वाला ऐसा व्यक्ति जो नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता हो, नगरपालिका का चुनाव लड़ सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात तथा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित किया गया है। आरक्षित स्थानों का निर्धारण चुनाव से पहले लॉटरी पद्धति से किया जाता है। आरक्षित वर्ग के व्यक्ति और महिलाएं सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य कार्य निष्पादन के लिए प्रत्येक नगर निकाय को दो माह में कम से कम एक बैठक अवश्य करनी चाहिए।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष : नगरपालिका बोर्ड के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष एवं एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप निर्वाचित करते हैं। नगर पंचायत का कार्यकाल पाचँ वर्ष होता है। पाँच वर्ष के पूर्व भी यह भगं हो सकती है किन्तु 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन होना आवश्यक है। अध्यक्ष के नेतृत्व में ही नगरपालिका बोर्ड उस नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय प्रशासन की नीतियां बनाता हैं, जिनका क्रियान्वयन पालिका में नियुक्त प्रशासक अर्थात अधिशाषी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की सहायता से किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल, शक्तियां व कार्य सभी नगरपरिषद के सभापति एवं उपसभापति के कमोबेश समान ही होते हैं। राज्य की नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चक्रानुक्रम से आरक्षण होगा।

राजस्थान में सभी नगरपालिकाओं में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भवन और निर्माण, नियम–उपनियम, गन्दी बस्ती सुधार व अपराधों का शमन और समझौता विषय पर समितियों का गठन किया जाता है। नगरपालिकाएं अपनी आवश्यकतानुसार स्वविवेक से अतिरिक्त समिति का भी गठन कर सकती हैं।

नगरपालिका के कार्य : यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का जो उल्लेख पूर्व वर्णित बिन्दुओं में किया गया है उन सभी अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्यों को नगरपालिकाएं भी अपने क्षेत्र में निष्पादित करती हैं। 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है – **1.** सडक, नाली, गली आदि की सफाई करना। **2.** सार्वजनिक स्थानों व सडकों, गली आदि में बिजली की व्यवस्था करना। **3.** जल प्रदान करना। **4.** सार्वजनिक शौचालय स्नानागार की व्यवस्था करना । **5.** सार्वजनिक बाजारों की व्यवस्था करना। **6.** आग लग जाने पर बुझाने के लिए अग्निशमन की व्यवस्था करना। **7.** श्मशान घाट (स्थल) की व्यवस्था करना। **8.** जन्म व मुत्यु का पंजीयन करना। **9.** गंदगी सुधार, पार्क विकसित करना, वाचनालय की व्यवस्था इत्यादि।

आय के स्रोत : राज्य की व्यवस्थापिका इन संस्थाओं को कर, शुल्क पथकर, बाजार एवं दुकान पर टैक्स निर्धारित करने, संग्रहित करने एवं व्यय करने का अधिकार देती है। राज्य सरकार की ओर से इन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है ।

* **नगर परिषद :**

नगरीय स्वशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई नगर परिषद है। राजस्थान में एक लाख से पांच लाख जनसंख्या वाले लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन राज्य सरकार कर सकती है। नगर परिषद विधिक दृष्टि से एक वैधानिक निकाय होती है। जिसकी सार्वजनिक मुहर एवं शाश्वत उत्तराधिकार होता है। नगर परिषद अपने नाम से संपत्ति का क्रय–विक्रय कर सकती है। इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा वह भी दूसरों पर मुकदमा चला सकती हैं। वर्तमान में राजस्थान में 34 नगर परिषद यथा दृ किशनगढ़, ब्यावर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चूरू, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, करौली, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, प्रतापगढ़, दौसा, मकराना, गंगापुर सिटी, हिण्डोन सिटी, भिवाड़ी, बालोतरा एवं सुजानगढ़ में स्थित हैं।

नगर परिषद में एक निर्वाचित परिषद होती है। नगर परिषद क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर विभक्त कर दिया जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। वार्ड से निर्वाचित सदस्य पार्षद कहे जाते हैं। वार्डों की संख्या का निर्धारण समय–समय पर अधूसिचना जारी करके किया जाता है। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। सम्बन्धित क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। सभी स्थानों के लिए आरक्षण सम्बन्धित प्रावधान नगर निगम की भांति ही लागू होते हैं। नगर परिषद अपने कार्य संचालन के लिए कतिपय स्थायी एवं अस्थायी समितियों का गठन करती है।

सभापति और उपसभापति : नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति एवं उपाध्यक्ष को उप सभापति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इनका चयन नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। मृत्यु, पद–त्याग एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर निर्वाचित सदस्य पुनः शेष अवधि के लिए सभापति अथवा उप सभापति का निर्वाचन करते हैं। सभापति परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी आयुक्त एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है।

नगर परिषद के कार्य : नगर निगम द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों जिसका उल्लेख पूर्व में नगर निगम के कार्यों में किया गया है उन सभी अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्य को नगर परिषदें भी निष्पादित करती रहती हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जो इस प्रकार हैं : 1. नगर आयोजनाय 2. भूमि का विनियमनय 3. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाय 4. सड़क एवं पुलय 5. व्यावसायिक प्रयोजन एवं घरेलू उद्योग के लिए जल–प्रदायय 6. लोक स्वास्थ्य एवं सफाईय 7. अग्नि शमन सेवाएं 8. नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षणय 9. गन्दी बस्तियों के लिए विकासय 10. कमजोर वर्गों, मंद बुद्धि व विशेष योग्य जनों के हितों का संरक्षणय 11. गरीबी उन्मूलनय 12. उद्यान व खेल मैदान इत्यादि का विकासय 13. दाह–गृहों, विद्युत दाह–गृहों इत्यादि का निर्माण एवं रख रखावय 14. जन्म एवं मृत्यु पंजीयनय 15. सड़कों का विद्युतीकरण 16. वाहन पार्किंग एवं बस–स्टॉप स्टैंड इत्यादि का निर्माणय 17. खानों का विनियमनय 18. बूचड़खानों का विनियमन इत्यादि।

* **नगर निगम :**

नगर निगम सर्वोच्च शहरी निकाय हैं। राजस्थान में 74 वें संविधान संशोधन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्येक बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में (जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो) में नगर निगम की स्थापना की जाती है। वर्तमान में राजस्थान के सभी 7 सम्भाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर में नगर निगम गठित किया गया है। संगठनात्मक दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा नगर निगम हैं नगर निगम एक निगमित निकाय है

जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। उसकी एक सामान्य मुहर होती है, वह निगमित नाम से वाद चला सकता हैं। नगर निगम का कार्यकाल भी पाँच वर्ष का होता हैं।

नगर निगम के आन्तरिक संगठन के अन्तर्गत परिषद, महापौर, उप महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निगम आयुक्त तथा समितियाँ होती हैं। राज्य सरकार नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों में विभक्त करती है। इन प्रादेशिक क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है। वार्डों के कुल स्थानों में से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में व महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित किये जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाता हैं। राजस्थान में 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निगम के अब तक पाँच बार चुनाव सम्पन्न हुए हैं।

महापौर एवं उपमहापौर : नगर निगम के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को क्रमशः महापौर व उपमहापौर कहा जाता हैं। नगर निगम के सदस्य अपनों में से ही एक को महापौर व एक को उप महापौर निर्वाचित करते हैं। महापौर एवं उप महापौर के पदों में भी आरक्षण की व्यवस्था रहती है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता हैं। मृत्यु, पद–त्याग अथवा सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण, पद समय से पूर्व भी रिक्त हो सकता हैं। पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए निगम के सदस्य अपने में से पुनः महापौर अथवा उप महापौर निर्वाचित कर लेते हैं। महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नगर निगम से संबंधित कोई प्रतिवेदन अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता हैं। महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर द्वारा सभी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

राज्य सरकार की और से नगर निगम में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सहयोग के लिए आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी निगम की परिषद एवं उसकी स्थायी समितियों की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। निगम के अभिलेख, दस्तावेज एवं बजट उसकी देखरेख में तैयार होते हैं। यह परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों, निर्मित कानूनों और स्वीकृत नियमों तथा उप नियमों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उसके प्रशासनिक नियत्रंण में कार्य करते हैं। नगर निगम के कार्य को सुगम तरीके से चलाने के लिए अधिनियम में विभिन्न समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। 1.कार्यपालक समिति जिसका गठन निम्न प्रकार होगा : (क) महापौर (ख) उप महापौर (ग) परिषद् में विपक्ष का नेता (घ) परिषद द्वारा निर्वाचित सात सदस्य जिसमें दो महिलाएं हों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी पदेन सचिव होगा।

इसके अलावा वित्त समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, भवन एवं निर्माण कार्य समिति, नियम एवं उपविधि समिति, गन्दी बस्ती सुधार समिति एवं अपराधों का शमन एवं समझौता समिति आदि का गठन किया जाता है। इन समितियों के अतिरिक्त भी आवश्यकता होने पर अन्य समितियां गठित की जा सकती हैं।

नगर निगम के कार्य : नगर निगम सामान्यतः तीन प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करता है। अनिवार्य, ऐच्छिक व विशेष कार्य। अनिवार्य कार्य में निगम द्वारा आवश्यक रूप से किये जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं जैसे शुद्ध जल का प्रबन्ध, सार्वजनिक विद्युत का प्रबन्ध, नालियों एवं शौचालयों का निर्माण एवं रख–रखाव, सार्वजनिक मार्गों का निर्माण व रख–रखाव व नामकरण, गन्दगी एवं कूड़े–करकट की सफाई, जन्म एवं मृत्यु का लेखा–जोखा, श्मशानों का प्रबन्ध एवं नियमन, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, खतरनाक भवनों को निरापद बनाना, खतरनाक व्यापार पर नियंत्रण, निगम सम्पत्ति की देखरेख, खाद्य पदार्थों और भोजनालयों का नियमन एवं नियंत्रण तथा वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन आदि। ऐच्छिक कार्य में वे कार्य सम्मिलित हैं जो निगम अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाता है जैसे सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालयों, रंगमचों, अखाड़ों इत्यादि का निर्माण एवं रख–रखाव, मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन, छायादार वृक्षों का रोपण एवं देखमाल, गरीबों एवं अपाहिजों की सहायता और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत का प्रबन्ध आदि। विशेष कार्य जो आपात स्थितियों से उत्पन्न होते हैं उन्हें परा कराना भी नगर निगम का दायित्व है, यथा–अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य तथा महामारी के समय बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करना। नगर निगम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निर्वाह के लिए विभिन्न कर लगाकर आय जुटाता है। सम्पत्ति कर, पशु कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, भूमि या भवन के वार्षिक किराया मूल्य पर कर इत्यादि विभिन्न कर नगर निगम अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत अधिरोपित करता है। करों के अलावा नगर निगम को अतिरिक्त फीस आदि से भी आय प्राप्त होती है जैसे सम्पत्ति हस्तान्तरण पर ली जाने वाली फीस इत्यादि। निगम को इन दोनों स्रोतों के अलावा राज्य सरकार से निश्चित अनुदान भी प्राप्त होता है।

* **छावनी बोर्ड**

छावनी शब्द का प्रयोग सैनिकों के निवास स्थान के लिए किया जाता है। समय के साथ–साथ छावनी में सैनिकों के साथ नागरिक भी बड़ी संख्या में रहने लगे हैं। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के

निराकरण हेतु स्थानीय संस्था के गठन के लिए 1924 में छावनी बोर्ड अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य छावनी बोर्ड की स्थापना करना था जो कि नगरपालिका के समान कार्य करता है। छावनी बोर्ड सीधे भारत के रक्षा मंत्रालय से प्रशासित होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में नसीराबाद (अजमेर) में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना की गयी है। वर्तमान में देश के सभी छावनी मंडल सितम्बर 2006 से लागू नए कानून के अधीन शासित हो रहे हैं।

सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड का गठन निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों से मिलकर किया जाता है। उपाध्यक्ष असैनिक रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल पद पर पदासीन होने तक होता है। कार्य की दृष्टि से छावनी मंडल के कार्य नगरपालिका के कार्य जैसे ही होते हैं। स्थानीय क्षेत्र में रोशनी, सफाई एवं स्वास्थ्य की देखभाल इत्यादि करता है। कार्य निष्पादन के लिए बोर्ड अपने वित्तीय संसाधन जनता पर कर आरोपण एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान द्वारा एकत्रित करता है।

ग्रामीण स्वशासन की चुनौतियाँ

पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है। उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिये ही होता है। राजस्थान में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है। कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख हैं, वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है, महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।

ग्रामीण स्वशासन/पंचायती राज को सशक्त करने के उपाय

पंचायती राज संस्थाओं को कर (टैक्स) लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये। पंचायती राज संस्थाएँ खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की जरुरत है। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिये जाएँ और बजट आवंटन के साथ ही समय–समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिये। इस दिशा में सरकार द्वारा ई–ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है। महिलाओं को मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अधिक–से–अधिक सशक्त बनाना चाहिये जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके। पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिये। पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिये तथा इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायत को पुरस्कृत करना चाहिये

स्थानीय सरकारों की समस्याएँ

स्थानीय सरकारों को दिया गया धन उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता। कई बार राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के कामकाज के प्रति रुचि की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि चुनावों को स्थगित करने से लेकर राज्य वित्त आयोगों और जिला योजना समितियों के गठन में विफलता तक राज्य सरकारें भिन्न–भिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती रही हैं। कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढाँचे की कमी जैसे मुद्दे सदैव ही स्थानीय निकायों के कामकाज में बाधा डालते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियों का कुशलतापूर्वक उपयोग अब तक संभव नहीं हो पाया है। बहुत कम ग्राम पंचायतें बाजार, मेलों, संपत्ति और व्यापार आदि पर कर लगाती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार के समानांतर ही अन्य निकायों की स्थापना कर दी है, ताकि वे स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार तक पहुँच प्राप्त कर सकें। वर्तमान में स्थानीय सरकार हेतु भारत में कुल सार्वजनिक व्यय का केवल 7 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है।

स्थानीय सरकार की सफल

स्थानीय सरकार की व्यवस्था ने 25 से भी अधिक वर्ष पूरे कर लिये हैं और इस अवधि को इस बात की जाँच करने के लिये सही समय माना जा सकता है कि यह व्यवस्था अब तक कितनी सफल रही है और कितनी असफल। विश्लेषक मानते हैं कि एक ओर यह व्यवस्था सफल भी रही है और दूसरी ओर असफल भी। इसकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसे किन उद्देश्यों के आधार पर जाँच रहे हैं। यदि इस व्यवस्था का

उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक और प्रणाली का विकास करना था तो स्थानीय सरकार की अवधारणा इस उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्णतः सफल रही है, परंतु इसके विपरीत यदि हमारा लक्ष्य एक बेहतर शासन प्रदान करना था तो हम इसमें पूर्णतः विफल रहे हैं। कई जानकार मानते हैं कि आज स्थानीय सरकारें अशक्त और अप्रभावी हो गई हैं और उन्हें ऊपरी स्तर की सरकारों के पक्ष समर्थक एजेंट होने तक ही सीमित कर दिया गया है।

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के उल्लेखनीय प्रयास

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित पद से किसी कारणवश हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है। 2. व्यक्ति जिनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध का संज्ञान ले लिया है और आरोप विचारित कर दिये गये है, जो 5 वर्ष या अधिक कारावास से दण्डनीय हो, के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। 3. ग्रामीण विकास योजनाओं में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता में बढोत्तरी हेतु वार्ड सभा का गठन किया गया है। 4. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। 5. राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन किया गया है। जिसमें चयनित अधिकारियों को पंचायती राज की विकास प्रक्रिया संचालन के दायित्व से जोड़ा गया हैं। 6. पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार तय की गई – जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्य : 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत के सरपंच : 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, अन्य पंचायत के सरपंच : 8वीं कक्षा उत्तीर्ण 7. पंचायत का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील शौचालय होना अनिवार्य हैं। 8. इसी प्रकार नगर निकाय के चुनाव के लिए भी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व घर में शौचालय अनिवार्य कर दिया गया है।

स्थानीय स्वशासन की समीक्षा

समकालीन परिदृश्य में जन आकांक्षाओं की उभरती हुई प्रवृत्तियों तथा लोक कल्याणकारी राज्यों की मान्यता के फल स्वरुप राज्यों के कार्यों में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ही इन कार्यों का संपादन नहीं कर सकती इसी कारण लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारें अपने कार्यों को गति देने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को पर्याप्त उत्तरदायित्व देती हैं। स्थानीय शासन की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए हीरालाल जी लास्की ने कहा है कि हम लोकतांत्रिक शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम यह नए मान लें कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।

जब कोई जन समूह है किसी स्थान विशेष पर मिलजुलकर सामुदायिक जीवन का आरंभ करता है तो पारस्परिक संबंधों के निरूपण से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इन समस्याओं का संबंध नागरिक जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था से होता है। जैसे बिजली पानी सड़क के संचार स्वास्थ्य आवास तथा स्वच्छता आधी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ मनुष्य की जीवन यापन की आवश्यकता की न्यूनतम अवधारणा भी बदलने लगी है। स्थानीय स्वशासन को जो कार्य करने चाहिए इन में निरंतर वृद्धि हो रही है उपलब्ध सुविधाओं का परिवर्धन एवं नई सुविधाएं जुटाने तथा भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर मानवीय जीवन के शारीरिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष को बेहतर बनाना स्थानीय स्वशासन का उत्तरदायित्व है। जहां एक और मनुष्य के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य है वही प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक कर समाज को शासन व्यवस्थाओं के प्रति सामंजस्य बिठाकर सतत विकास के पथ पर अग्रसर करना भी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्थानीय स्वशासन संघवाद और सत्ता के विकेंद्रीकरण व्यवस्था में तीन स्तर के शासन में बुनियाद का कार्य करता है। वस्तुतः आजकल लोगों के दिन जीवन में स्थानीय स्वशासन की भूमिका प्रांतीय और केंद्रीय शासन से भी अधिक हो गई है इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि स्थानीय शासन के कार्यों में निरंतर वृद्धि होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे लोग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होते जाएंगे राजनीतिक संस्कृति मजबूत होगी। और उत्तरदायित्व और सह अस्तित्व पर आधारित शासन व्यवस्था का यह स्तर नागरिक सेवा गीता को और मजबूत करेगा और भविष्य की नागरिक सेवाओं के निष्पादन में मील का पत्थर भी साबित होगा। स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर अपनी समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाएगी ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों के अनुरूप हो। स्थानीय स्वशासन से हमारा अभिप्राय यह है कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए यदि स्थानीय क्षेत्र का प्रशासन केंद्र या राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा चलाया जाए तो वह स्थानीय प्रशासन होगा। की स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए प्राय सभी देशों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित की जाती हैं यह संस्थाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग होती हैं प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कुछ मूल्य एवं मान्यताएं होती हैं। इन्हीं मूल्य एवं मान्यताओं से राष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं उनकी कार्यप्रणाली तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास निर्धारित होता है इस तरह की संस्थाएं

लचीली होती है अतः यह समाज के बदलते राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा आवश्यकता के अनुसार अपने आप को डालने का प्रयास करती हैं।

निष्कर्ष : इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं। स्थानीय लोगों को उस स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं एवं चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है, अतः निर्णय में विसंगतियों की संभावना न्यूनतम होती है। महिलाओं को न्यूनतम एक–तिहाई आरक्षण प्रदान करने से महिलाएँ भी मुख्यधारा में शामिल होती हैं। इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है जहाँ से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिये तैयार हो सकते हैं। यह जमीनी स्तर पर लोगों में नियोजन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की भावना पैदा करने मदद करता है। स्थानीय शासन से भारत की विविधता को और अधिक सम्मान मिलता है।

संदर्भ :

श्रीवास्तव, दिनेश : 'भारत में ग्राम विकास की नई चेतना', प्रतियोगिता दर्पण, नवम् अंक, अप्रैल 2009,
ए. आर. देशाई : ''रूरल सोसियोलोजी इन इंण्डिया'' एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 1978
एल. गोल्डिंग : लोकल गवर्नमेंट, इंगलिश यूनिवर्सिटी, लंदन 1955
एम.पी.त्यागी और आर. के. रस्तोगी : ''स्थानीय स्वशासन'' संजीव प्रकाशन, मेरठ।
एस. आर. माहेश्वरी : ''भारत में स्थानीय शासन'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2012
एस. आर. माहेश्वरी : ''भारत में स्थानीय शासन'', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2005
कुमार, मनीष : 'ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका'कुरुक्षेत्र, अगस्त 2007
गाँधी एम. के. (लेखक) : पंचायती राज, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद– 380014, 2014
डॉ. अनिता : राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सभा, ग्राम सभा एवं वार्ड पंच के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013–14
डॉ. अनिता : राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद : जिला प्रमुख एवं सदस्यों के दायित्व, कर्त्वय एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013–14
डॉ. अनिता : राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति : प्रधान एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013–14
डॉ. अशोक शर्मा : ''भरत में स्थानीय प्रशासन'' आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, सवाई मानसिंह हाईवे , जयपुर।
73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम।
नेहरू, जवाहरलाल : सामुदायिक विकास और पंचायती राज, सस्ता साहित्य मंडल, 1965
प्रसाद, श्यामसुन्दर : 'ग्रामोदय से भारत उदय, अभियान की प्रासंगिकता' प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2016,
बामेश्वर सिंह, 2000 : ''भारत में स्थानीय शासन'', राधा प्रकाशन, जयपुर
बावेल डॉ. बसन्तीलाल : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2013
महिपाल, पंचायती राज : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली – 2013
रावत, धन सिंह : 'नवीन पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तन अंकित प्रकाशन, हल्द्वानी.
त्रिपाठी, राजमणि : 'पंचायतीराज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र पत्रिका, 2001